रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2003/25 अग्रहायण, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 16 दिसम्बर, 2003

संख्या वि0स0/लैज-गवरनमैंट बिल/1-108/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003

3366-राजपत्र/2003-16-12-2003—1,398. (2699) मूल्य : एक रुपया

(2003 का विधेयक सख्यांक 19) जो आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाजटा,
सचिव ।

2003 का विधेयक संख्यांक 19.

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 है ।

(2) यह 22 सितम्बर, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(13) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;" ।

धारा 9-ख का जोड़ना ।

3. मूल अधिनियम की धारा 9-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"9-ख. राज्य सरकार की जांच करने की शक्ति.—राज्य सरकार, अपने किन्हीं अधिकारियों या अभिकरण द्वारा, जैसा यह निदेश दे, विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित संस्थाओं के प्रशासन और वित्त-प्रबन्धन से सम्बद्ध किन्हीं मामलों पर जांच करवा सकेगी और ऐसी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार इसका परीक्षण करने के पश्चात्, रिपोर्ट को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी और, यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति को हटाए जाने सहित किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की भी सिफारिश करेगी यदि इसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो इस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) में अन्तर्विष्ट हैं और कुलाधिपति तद्नुसार कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु कुलाधिपति ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व, यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।" ।

धारा 12 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4-क) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कुलपति को निलम्बित कर सकेगा,—

(क) जहां, इस धारा की उप-धारा (5) के अधीन कोई जांच अनुध्यात है या लम्बित है ; या

(ख) जहां, कुलाधिपति की राय में, वह विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में लगा हुआ है ; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसका कार्यालय में बना रहना अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा (अर्थात् दस्तावेजों से आशंकित छेड़छाड़ या गवाहों पर असर डालना) ।

(4-ख) निलम्बित कुलपति छुट्टी सम्बलम् की रकम के बराबर जीवन-निर्वाह भत्ते का, जिसे कुलपति ने अर्हित किया होता यदि वह अर्ध औसत वेतन या अर्ध वेतन पर छुट्टी पर होता, और इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते का, यदि वह ऐसे छुट्टी सम्बलम् के आधार पर अनुज्ञेय है, हकदार होगा:

परन्तु जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो जाती है तो कुलाधिपति जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम में, प्रथम तीन मास की अवधि की पश्चात्वर्ती किसी अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा :—

(i) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम की उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, बढ़ौतरी की जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्षत: कुलपति को आरोप्य नहीं है ;

(ii) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, घटाई जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्षत: कुलपति को आरोप्य है; और

(iii) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (i) और (ii) के अधीन अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई रकम पर आधारित होगी ।

(4-ग) उप-धारा (4-ख) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक की कुलपति यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है" ; और

(ii) उप-धारा (5) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 9 या धारा 9-ख के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उप-धारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु कुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।"।

धारा 12-ग का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 12-ग में, उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) कुलपति आपात स्थिति में जिसमें उन शक्तियों, जो उसमें निहित नहीं है, की बाबत तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, कारणों को अभिलिखित करके ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और मामले को ऐसे प्राधिकरण, जो ऐसी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हो, के समक्ष इसकी ठीक आगामी बैठक में पुष्टि के लिए रखेगा न कि साठ दिन के पश्चात्, ऐसा न होने पर, उस द्वारा की गई कार्रवाई प्रभावहीन हो जाएगी और यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि ऐसे प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती है तो वह भी प्रभावहीन हो जाएगी :

परन्तु कुलपति द्वारा ऐसी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, किसी पोजीशन या समनुदेशन पर कोई नियुक्ति करने या किसी पदधारी को ऐसी पोजीशन या समनुदेशन से हटाए जाने के लिए नहीं किया जाएगा ।" ।

धारा 12-घ का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 12-घ में,—

(i) उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4-क) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्रतिकुलपति को निलम्बित कर सकेगा,—

(क) जहां इस धारा की उप-धारा (5) के अधीन कोई जांच अनुध्यात है या लम्बित है; या

(ख) जहां, कुलाधिपति की राय में, वह विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में लगा हुआ है; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसका कार्यालय में बना रहना अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा (अर्थात् दस्तावेजों से आशंकित छेड़छाड़ या गवाहों पर असर डालना) ।

(4-ख). निलम्बित प्रतिकुलपति छुट्टी सम्बलम् की रकम के बराबर जीवन-निर्वाह भत्ते का, जिसे प्रतिकुलपति ने अर्हित किया होता यदि वह अर्ध औसत वेतन या अर्ध वेतन पर छुट्टी पर होता, और इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते का, यदि यह ऐसे छुट्टी सम्बलम् के आधार पर अनुज्ञेय है, हकदार होगा :

परन्तु जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो जाती है तो कुलाधिपति जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम में, प्रथम तीन मास की अवधि की पश्चात्वर्ती किसी अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा:—

(i) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम की उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक

न हो, बढ़ौतरी की जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बड़ी है जो प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति को आरोप्य नहीं है ;

(ii) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, घटाई जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बड़ी है जो प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति को आरोप्य हैं; और

(iii) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (i) और (ii) के अधीन अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई रकम पर आधारित होगी।

(4-ग) उप-धारा (4-ख) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिकुलपति यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है"। ; और

(ii) उप-धारा (5) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 9 या धारा 9-ख के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उप-धारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु प्रतिकुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।"

धारा 15 का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"15. रजिस्ट्रार.—(1) एक रजिस्ट्रार होगा जो विश्वविद्यालय के न्यायालय, कार्यकारी परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार उन अधिकारियों में से, जिनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम 5 वर्ष का सेवाकाल हो या राज्य सरकार के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कम से कम 9 वर्ष का सेवाकाल हो, राज्य सरकार द्वारा, ऐसा न होने पर विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के विद्यमान उपबन्धों के अधीन पात्र व्यक्तियों में से चयन द्वारा, नियुक्त किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।"।

धारा 16 का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"16. वित्त अधिकारी.—(1) एक वित्त अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय की वित्त समिति का पदेन-सदस्य सचिव होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी वित्त अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य अधीनस्थ लेखा सेवाओं (सामान्य शाखा) के अधिकारियों में से, जो नियन्त्रक की पंक्ति के नीचे के न हो, राज्य सरकार द्वारा, ऐसा न होने पर विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के विद्यमान उपबन्धों के अधीन पात्र व्यक्तियों में से चयन द्वारा, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) वित्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।"।

धारा 21 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (v) जोड़ा जाएगा, अर्थात् : —

"(v) रजिस्ट्रार: सदस्य-सचिव;"

धारा 35-क का जोड़ना।

10. मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"35-क. पदों इत्यादि का सृजन.—विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किसी पद, पोजीशन और समनुदेशन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो ।"।

2003 के अध्यादेश संख्यांक 7 का निरसन और व्यावृत्तियां।

11. (1) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नवीनतम घटनाक्रमों और प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के आरोप और कुलपति द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के आरोपों के कारण, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है । अभिव्यक्ति (पद) "राज्य सरकार" हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 में परिभाषित नहीं है, इसलिए अभिव्यक्ति (पद) "राज्य सरकार" को इसमें परिभाषित करने का विनिश्चय किया गया है । राज्य सरकार विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान उपलब्ध करवा रही है, इसलिए विश्वविद्यालय के मामलों में राज्य सरकार को जांच के आदेश देने तथा कुलाधिपति को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की सिफारिश करने के लिए सशक्त करना आवश्यक समझा गया है । उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को कुलपति को नियुक्त करने और हटाने के लिए सशक्त करती है परन्तु कुलपति को निलम्बित करने का कोई उपबन्ध नहीं है । इसलिए निलम्बन का उपबन्ध भी रखा गया है ।

अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध, कुलपति को किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए, जैसी वह आवश्यक समझे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्पश्चात् शीघ्रतम अवसर पर, उस प्राधिकारी या निकाय को देने के लिए, जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता, शक्तियां प्रदत्त करते हैं । यह देखा गया कि ऐसी आपातकालीन शक्तियों का कुलपति द्वारा, ऐसे मामलों में जिन में कोई आपातस्थिति विद्यमान नहीं थी, घोर दुरुपयोग किया गया है जैसे कि नियुक्तियां करना, पदों को उन्नत करना, तद्र्थ व्यवस्था करना इत्यादि । इसलिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 12-ग के उपबन्धों को अधिक स्पष्ट बनाने का विनिश्चय किया गया है ताकि कुलपति आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके ।

रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का मूल कृत्यकारी होने के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अभिलेख, मुद्रा और सम्पत्ति का अभिरक्षक भी है तथा विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में यथा उल्लिखित कर्त्तव्यों और दायित्वों से आविष्ट है । इसलिए यह समीचीन समझा गया है कि रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद्, न्यायालय तथा शैक्षणिक परिषद् का सदस्य सचिव भी होना चाहिए इसके अतिरिक्त यह भी समीचीन समझा गया है कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और वित्तीय अधिकारी के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय कृत्यों की प्रकृति के दृष्टिगत प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार और वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का उपबन्ध, रजिस्ट्रार की दशा में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कम से कम 9 वर्ष की सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम 5 वर्ष की सेवा के अधिकारियों में से और वित्तीय अधिकारी की दशा में, हिमाचल प्रदेश राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) के अधिकारियों, जो नियन्त्रक की पंक्ति के नीचे के न हो, में से क्रमशः किया जाना चाहिए ।

राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा कृत्यों के निर्बाध निर्वहन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवा रही है, इसलिए अधिनियम में यह उपबन्ध किया जाना आवश्यक समझा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा सृजित पद/पोजीशन राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही, प्रभावी होंगे ।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक 7) 22 सितम्बर, 2003 को प्रख्यापित किया था और जिसे 22 सितम्बर, 2003 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित करना अपेक्षित है ।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को, निम्नलिखित उपान्तरणों सहित, प्रतिस्थापित करने के लिए है :—

(i) धारा 9-ख में "कुलाधिपति तदनुसार कार्रवाई करेगा" शब्दों के स्थान पर "कुलाधिपति तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा" शब्द रखे गए हैं ताकि इस धारा के नीचे का परन्तुक, जिसम सुनवाई का अवसर देने का उपबन्ध किया गया है, अर्थपूर्ण हो जाए । इसके अतिरिक्त प्रतिकुलपति को इस धारा की परिधि के अन्तर्गत लाने के दृष्टिगत इस धारा में "कुलपति" शब्द जहां-जहां आता है के स्थान पर, "यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति" शब्द और चिन्ह रखे गए हैं ।

(ii) धारा 12-घ में, प्रतिकुलपति के निलम्बन का भी वैसा ही उपबन्ध किया गया है जैसा कि कुलपति के मामले में किया गया है तथा रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु धारा 15 और 16 में भी उपान्तरण किया गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

आशा कुमारी,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
तारीख....., 2003.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No 19 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASEEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (*Act No.* 17 *of* 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 22nd day of September, 2003.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (12), the following clause shall be added, namely:—

"(13) "State Government" means the "Government of Himachal Pradesh;".

Addition of section 9-B.

3. After section 9-A of the principal Act, the following section shall be added, namely:—

"**9-B**. *Power of State Government to enquire.*—The State Government may, cause an enquiry to be made by any of its officers or agency, as it may direct on any matters connected with the administration and finances of the University or the institutions maintained by it and the report of such enquiry shall be sent to the State Government and the State Government after examining the same, shall forward the report to the Chancellor and may also recommend any action including removal of Vice-Chancellor or the Pro-Vice-Chancellor, as the case may be, if in its opinion there exist such circumstances as are contained in sub-section (5) of section 12 of this Act and the Chancellor may take action accordingly:

Provided that before taking such action, the Chancellor shall afford reasonable opportunity of being heard to the Vice-Chancellor or Pro-Vice-Chancellor, as the case may be.".

Amendment of section 12.

4. In section 12 of the principal Act,—

(*i*) after sub-section (4), the following sub-sections shall be added, namely:—

"(4-*a*). The Chancellor, by general or special order, may place the Vice-Chancellor under suspension,—

(*a*) where an enquiry under sub-section (5) of this section is contemplated or is pending ; or

(*b*) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University ; or

(*c*) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial ; or

(*d*) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (*e.g.* apprehended tempering with documents or to influence witnesses).

(4-*b*). The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary :

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistance allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows:—

(*i*) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Vice-Chancellor;

(*ii*) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor ; and

(*iii*) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clause (*i*) and (*ii*).

(4-*c*). No payment under sub-section (4-*b*) shall be made unless the Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation."; and

(*ii*) at the end of sub-section (5), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 9 or section 9-B of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub-section but the Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.".

Amendment of section 12-C.

5. In section 12-C of the principal Act, for sub-section (7), the following shall be substituted, namely:—

"(7) In case of emergency warranting immediate action to be taken, in respect of powers not vested in him, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary after recording reason in writing and shall place the matter before the authority, competent to exercise such powers, for confirmation in its next following meeting but not later than sixty days, failing which the action taken by him shall cease to have any effect and if the action taken by the Vice-Chancellor is not confirmed by such authority, the same shall also cease to have any effect :

Provided that such emergency powers shall not be exercised by the Vice-Chancellor for making any appointment to any position or assignment or removal of any incumbent from such position or assignment.".

Amendment of section 12-D.

6. In section 12-D of the principal Act,—

(*i*) after sub-section (4), the following sub-sections shall be added, namely :—

"(4-a). The Chancellor, by general of special order, may place the Pro-Vice-Chancellor under suspension,—

(*a*) where an enquiry under sub-section (5) of this section in contemplated or is pending; or

(*b*) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University; or

(*c*) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or

(*d*) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (*e.g.* apprehended tempering with documents or to influence witnesses).

(4-b). The Pro-Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Pro-Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary :

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows : —

(*i*) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the

period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Pro-Vice-Chancellor ;—

(*ii*) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Pro-Vice-Chancellor; and

(*iii*) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clauses (*i*) and (*ii*).

(4-c). No payment under sub-section (4-b) shall be made unless the Pro-Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation."; and

(*ii*) at the end of sub-section (5), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 9 or section 9-B of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub-section but the Pro-Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.".

Substitution of section 15.

7. For section 15 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"**15.** *Registrar.*—(1) There shall be a Registrar who shall be *ex-officio* Member-Secretary of the Court, the Executive Council and Academic Council of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Statutes or the Ordinances of the University, the Registrar shall be appointed by the State Government from amongst the officers who have put in at least five years service in the Indian Administrative Services or at least nine years service in Himachal Pradesh Administrative Services, under the State Government, failing which by selection from amongst those eligible under the existing provisions of the First Ordinance of the University.

(3) The Registrar shall exercise such powers and discharge such duties as may be prescribed by the Statutes.".

Substitution of section 16.

8. For section 16 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"**16.** *Finance Officer.*—(1) There shall be Finance Officer who shall be the *ex-officio* Member-Secretary of the Finance Committee of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Statutes or the Ordinances of University, the Finance Officer shall be appointed by the State Government from amongst the officers of the Himachal Pradesh State Subordinate Accounts Services (Ordinary Branch), not below the rank of Controller, failing which by selection from amongst those eligible under the existing provision of the First Ordinance of the University.

(3) The Finance Officer shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.".

Amendment of section 21.

9. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (*iv*), the following clause (*v*) shall be added, namely:—

"(*v*) Registrar : Member-Secretary.".

Addition of section 35-A.

10. After section 35 of principal Act, the following shall be added, namely:—

"**35-A.** *Creation of posts etc.*—No post, position and assignment created by the University shall have any effect unless approved by the State Government.".

Repeal of Ordinance No. 7 of 2003 and savings.

11. (1) The Himachal Pradesh University (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Latest developments in the Himachal Pradesh University and allegations of administrative and financial irregularities, corruption, nepotism and allegations of abuse of powers, by the Vice-Chancellor have necessitated the amendments in the Himachal Pradesh University Act, 1970. The expression "State Government" has not been defined in the Himachal Pradesh University Act, 1970, hence it has been decided to define the expression "State Government." The State Government is providing grant-in-aid to the University, hence it is considered essential to empower the State Government to order enquiry into the affairs of the University and recommend any action to the Chancellor. Section 12 of the Act *ibid* empowers the Chancellor of the University to appoint and remove the Vice-Chancellor but there is no provision of suspension of Vice-Chancellor. Thus the provision of suspension has also been made.

The existing provisions of the Act confer powers upon the Vice-Chancellor to take any action in any emergency as he deems necessary and at the earliest opportunity thereafter report the action taken to such authority or body as would in the ordinary course have dealt with the matter. It has been observed that these emergency powers have grossly been misused by the Vice-Chancellor for the matters not warranting any emergency *e. g.* making appointments, upgrading posts, making *ad hoc* arrangement etc. Hence, it has been decided to make the provision of section 12-C of the Act *ibid* more clear so that the Vice-Chancellor could not misuse emergency powers.

The Registrar happens to be the key functionary of the University and also the custodian of record, seal and properties of the University and is charged with the duties and responsibilities as laid down in the First Statutes of the University. It is, therefore, considered expedient that the Registrar should also be 'Member-Secretary' of the Executive Council , Court and the Academic Council. Further, it is considered expedient that in view of the nature of important administrative and financial functions of the Registrar and the Finance Officer of the University, the provision of appointment of Registrar and the Finance Officer on deputation, in the case of Registrar from amongst Officers of Himachal Pradesh Administrative Services with atleast 9 years' service or of Indian Administrative Services with atleast 5 years' service, and in the case of Finance Officer, from amongst Officers of the Himachal Pradesh State Subordinate Accounts Services (Ordinary Branch) not below the rank of Controller, should respectively be made.

Since the State Government is providing Grant-in-Aid for the smooth functioning of the University, hence, it is felt necessary to make a provision in the Act that any post/position created by the University shall take effect only after the same has been approved by the State Government.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh University Act, 1970 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh University (Amendment) Ordinance, 2003 (Ordinance No. 7 of 2003) on the 22nd day of September, 2003 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 22nd day of September, 2003. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance with the following modifications :—

(*i*) In section 9-B, for the words "Chancellor shall take", the words "Chancellor may take" have been substituted so that the proviso below this section which provides for affording of opportunity of being heard become meaningful. Further with a view to bring Pro-Vice-Chancellor within the ambit of this section, after the words and sign "Vice-Chancellor", wherever these occur in this

section, the words and sign "or the Pro-Vice-Chancellor, as the case may be," have been inserted ;

(*ii*) In section 12-D, the provision of suspension of Pro-Vice-Chancellor have been made, as have been done in the case of Vice-Chancellor, and sections 15 and 16, have been modified to empower the State Government to appoint Registrar and Finance Officer.

ASHA KUMARI,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
Dated :

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित